एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड
AIR FORCE NAVAL HOUSING BOARD
एयर फोर्स स्टेशन रेस कोर्स, नई दिल्ली-110003
Air Force Station Race Course, New Delhi-110003
Tele No 23793462 / 3463 / 23792800 Fax 23014942 Email directorgeneral@afnhb.org, Website : www.afnhb.org

No AFNHB/WKS/1537 13 Aug 2020

Vice Chairman
Meerut Development Authority
Meerut. (UP)

COMPLETION PLAN OF BLOCK NO 2, 3, 4 AND 5
AFNHB RESIDENTIAL COMPLEX AT SECTOR 4B, SHATABDI NAGAR, MEERUT

1. In reference to above, the building plans were got compounding from your office vide letter No 1743 and part completion for Block Nos 01, 06, 07, 08, Facility Building and Community Centre have already received vide your letter **No 3508/मान० अनु० जोन-A/19 dated 21/11/2019**.

2. In this regard, we are hereby submitting the Completion Plans for the above said blocks as mentioned in the subject.

3. You are requested to do the needful at the earliest.

(Istiyaq Ansari)
Asst Manager (E&M)
For Director General

Encls :(a) Form-B (Page 1 to 4)
(b) Form-B (Part C)
(c) Authorisation Letter
(d) Copy of PAN Card
(e) Drawings (As per list attached)
(f) Copy of POC
(g) Copy of Compounding Letter
(h) Copy of Lift NOC

13.08.2020

प्रपत्र–"ब"

ग्रुप हाऊसिंग, व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन के पूर्णता प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन पत्र

(उपविधि संख्या–3.1.8)

मेरठ विकास प्राधिकरण

भाग–अ

1. (i) आवेदक का नाम — AIR FORCE NAVAL HOUSING BOARD
   (ii) वर्तमान पता — AIR FORCE STATION RACE COURSE NDEL-O
2. भूखण्ड संख्या तथा योजना का नाम/मोहल्ला/वार्ड — ------------
3. भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) — 40396.52 Sqmt
4. भवन का अनुमन्य उपयोग — RESIDENTIAL
5. (i) भवन मानचित्र स्वीकृति की तिथि — 1743 - 28-01-2010
   (ii) परमिट संख्या — ------------
   (iii) यदि स्वतः अनुमोदित है तो प्राविधान का विवरण : यदि भवन मानचित्र जमा करने की तिथि से निर्धारित अवधि में भवन मानचित्र अस्वीकृति की सूचना न दी गई हो – मानचित्र जमा करने की तिथि, रसीद संख्या एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें : — N/A
6. (i) यदि अनधिकृत निर्माण का शमन कराया गया हो तो शमन मानचित्र की प्रति संलग्न करें — ------------
   (ii) शमन शुल्क भुगतान की तिथि, रसीद संख्या एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें — PLN 15034569 (24-09-18)
7. निर्माण की स्थिति :

क्रमांक	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत/शमन किया गया विचलन
1	2	3	4	5

7.1 भू–आच्छादन (प्रतिशत) — 5797.171 sqmt. 14.35%

7.2 एफ.ए.आर. — 29979.655 sqmt – 74.586%

7.3 सैट बैक (दूरी मीटर में)

(क) सामने 15 M/12.20M

(ख) पीछे 11 M

(ग) दाएँ 12 M

(घ) बाएँ 11 M

क्रमांक	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत / शमन किया गया विचलन
1	2	3	4	5

7.4 (अ) बेसमेन्ट क्षेत्रफल व.मी. में) 275.629 m2 — PART COMPLETION OBTAINED
7.4 (ब) बेसमेन्ट का उपयोग FOR STORAGE ONLY
7.5 स्टिल्ट फ्लोर
(अ) क्षेत्रफल
(ब) उपयोग 7567.1775 sqmt
7.6 पार्किंग ((क्षेत्रफल व.मी. में) CAR PARKING
7.7 भवन की ऊँचाई (मीटर में)
7.8 मंजिलों की संख्या S+10
8. अग्निशमन से सम्बन्धित कार्य
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी से फायर फाइटिंग सिस्टम की पूर्णता का प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
9. सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शाया जाए :
(क) जल–आपूर्ति
(ख) मलोत्सारण
(ग) जल निकास
(घ) सोलर वाटर संयन्त्र
(ङ) विद्युत आपूर्ति
(च) लिफ्ट
(चीफ इलैक्ट्रिकल इन्सपेक्टर, उ.प्र. से लिफ्ट के पूर्णता का प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
10. गारबेज शूट ✓(है / नहीं)
11. एविऐशन क्षेत्र में स्थित होने की दशा में
एविऐशन लाइट्स ✓लगी हैं / नहीं लगी हैं
12. रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली (पंजीकृत अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
(है / नहीं)
13. भवन में आन्तरिक परिवर्तन :
(क) उपविधियों के अन्तर्गत ✓है / नहीं है
(ख) यदि उपविधियों के विपरीत है तो
उसका शमन हो चुका है। ✓हाँ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी / हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। लागू भवन उपविधियों के अन्तर्गत ऐसा अनधिकृत निर्माण नहीं है जो शमन न कराया गया हो। अतः उक्त भूखण्ड पर किए गए निर्माण हेतु पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाए।

संलग्नक अभिलेख :
1.
2.
3.

आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर
(अधिकृत होने के प्रमाण–पत्र सहित)

(Shiv Ansari)
Asst Manager WKS (E&M)
Housing Board
Air Force Station, Race Course
New Delhi

दिनांक ....

टिप्पणी :– 1. उक्त सूचना केवल आवेदन के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा दी जाएगी। अधिकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।
2. भवन काम्पलेक्स में प्रत्येक ब्लाक के लिए अलग–अलग आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

परिशिष्ट–6

(प्रपत्र–'ब') पृष्ठ 3/4

भाग–ब

पंजीकृत वास्तुविद/~~अभियन्ता~~ का प्रमाण पत्र
(ग्रुप हाऊसिंग/व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/~~श्रीमती~~ GAGAN. GARG (आवेदक का नाम) के भूखण्ड संख्या...... खसरा संख्या .... पर स्थित भवन संख्या SECTOR-4B PART. SHATABDI NAGAR, MEERUT . . का निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन कार्य मेरे पर्यवेक्षण में किया गया। उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएँ सही हैं। इस संदर्भ में मेरी आख्या निम्नवत् हैं :–

निर्मित भवन, लागू उपविधियों एवं स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुसार है।

अथवा

निर्मित भवन में स्वीकृत मानचित्र अथवा स्वीकृत शमन मानचित्र से जो विचलन है वह क्रमांक –7 पर अंकित कर दिया गया है।

भवन जिस प्रयोजन हेतु निर्मित/पुनर्निर्मित/परिवर्तित किया गया है उस हेतु उपयुक्त है। इसकी गुणवत्ता उच्च श्रेणी की है एवं स्ट्रक्चर के आधार पर सुरक्षित है। भवन निवास हेतु पूर्णतया उपयुक्त एवं सुरक्षित है।

अतः पूर्णता–प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः पंजीकृत वास्तुविद/~~अभियंता~~ GAGAN.GARG.

नाम/पता 46, REGAL BUILDING.. CONNAUGHT PLACE NEW DELHI - 11000

काउन्सिल आफ आर्कीटेक्चर का पंजीकरण/लाइसेन्स संख्या CA/99/25499......

लाइसेन्स वैधता की अवधि 31/12/2021

Garg & Associates
46, Regal Building, Connaught Place
New Delhi-110001
GAGAN GARG-CA/99/25499

परिशिष्ट–6

(प्रपत्र–'ब') पृष्ठ 3/4

भाग–ब

पंजीकृत ~~वास्तुविद्~~/अभियंता का प्रमाण पत्र

(ग्रुप हाऊसिंग/व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/~~श्रीमती~~ PANKISH. GOEL (आवेदक का नाम) के भूखण्ड संख्या...... खसरा संख्या .... पर स्थित भवन संख्या SECTOR-4B PART SHATABDI NAGAR, MEERUT का निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन कार्य मेरे पर्यवेक्षण में किया गया। उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएँ सही हैं। इस संदर्भ में मेरी आख्या निम्नवत् हैं :–

निर्मित भवन, लागू उपविधियों एवं स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुसार है।

अथवा

निर्मित भवन में स्वीकृत मानचित्र अथवा स्वीकृत शमन मानचित्र से जो विचलन है वह क्रमांक –7 पर अंकित कर दिया गया है।

भवन जिस प्रयोजन हेतु निर्मित/पुनर्निर्मित/परिवर्तित किया गया है उस हेतु उपयुक्त है। इसकी गुणवत्ता उच्च श्रेणी की है एवं स्ट्रक्चर के आधार पर सुरक्षित है। भवन निवास हेतु पूर्णतया उपयुक्त एवं सुरक्षित है।

अतः पूर्णता–प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः पंजीकृत ~~वास्तुविद्~~/अभियंता PANKISH. GOEL

नाम/पता B-74, SECTOR-57. OPP. PARK PLAZA, NOIDA

काउन्सिल आफ आर्कीटेक्चर का

पंजीकरण/लाइसेन्स संख्या ....

दिनांक .... लाइसेन्स वैधता की अवधि ....

<u>भाग–स</u>

रेनवाटर हार्वेस्टिंग **के सम्बन्ध** में पंजीकृत अनु**ज्ञापित व्यक्ति** का **प्रमाण पत्र**

(ग्रुप हाऊसिंग / व्यवसायिक एवं **बहुखण्डी भवन हेतु**)

निर्मित भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग (रूफ टाफ रेनवाटर **हार्वेस्टिंग** सिस्टम) का **प्राविधान विकास प्राधिकरण द्वारा** स्वीकृत भवन मानचित्र / लागू उपविधियों के अनु**रूप किया** गया है।

हस्ताक्षर :

पंजीकृत **अनुज्ञापित व्यक्ति**

नाम / पता PUNIT SHARMA

लाइसेन्स संख्या R.S. CONSULTANTS.

349, 3rd. FLOOR,

HIRA TOWER, 100 Ft. ROAD

GHITORNI, New Delhi-110030

दिनांक ....

एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड
AIR FORCE NAVAL HOUSING BOARD
एयर फोर्स स्टेशन रेस कोर्स, नई दिल्ली-110003
Air Force Station Race Course, New Delhi-110003
Tele No. : 23793462 / 3463 / Fax . 23014942 Email . directorgeneral@afnhb.org. Website : www.afnhb.org

No AFNHB/WKS/1537 10 Aug 2020

AUTHORISATION
FOR SIGNING THE DOCUMENTS RELATING TO COMPLETION CERTIFICATE FOR AFNHB MEERUT PROJECT

I, Wg Cdr SK Gaur, General Manager (Works), Air Force Naval Housing Board hereby authorise Mr Istiyaq Ansari, Assistant Manager (E&M) and Project Director of AFNHB Meerut Project to sign all the documents related to AFNHB Meerut Project for obtaining Completion Certificate. His specimen signatres are appended below:-

(Istiyaq Ansari) (Istiyaq Ansari) (Istiyaq Ansari)

AIR FORCE NAVAL HOUSING BOARD

(SK Gaur)
Wing Commander
General Manager (Works)
For Director General

आयकर विभाग भारत सरकार

INCOME TAX DEPARTMENT GOVT. OF INDIA

AIR FORCE NAVAL HOUSING

BOARD

19/05/1980

Permanent Account Number

AABTA1937F

Signature

LIST OF DRAWINGS

AFNHB MEERUT PROJECT

Sl.	Drawing Nos		Description
1	Drawing No 1	...	Layout Plans for Block 2, 3, 4 & 5
2	Drawing No 2	...	Parking Layout Plans for Block 2, 3, 4 & 5
3	Drawing No 3	...	Landscape Layout for Block 2, 3, 4 & 5
4	Drawing No 4	...	Stilt Floor Plan for Block 3 (Unit A Type A 1) Similar Mirror Image for Block 2 & 4
5	Drawing No 5	...	Typical Floor Plan - 2nd Floor to 10th Floor Plan (Unit A Type A1) Similar Mirror Image for Block 2 & 4
6	Drawing No 6	...	First Floor Plan for Block 3 (Unit A Type A 1) Similar Mirror Image for Block 2 & 4)
7	Drawing No 7	...	Ground Coverage Detail for Block 1 (Unit A Type A 1)
8	Drawing No 8	...	Terrace Plan for Block 3 (Unit A, Type A 1) Similar Mirror Image for Block 2 & 4
9	Drawing No 9	...	Elevation –A for Block 3 (Unit A, Type A1) (Similar Mirror Image for Block 2 & 4)
10	Drawing No 10	...	Section at A-A & B-B for Block 3 (Unit A Type A I)
11	Drawing No 11	...	Stilt Floor Plan for Block 5 (Unit B, Type A II)
12	Drawing No 12	...	Ground coverage detail for Block 5 (Unit B Type A II)
13	Drawing No 13	...	First Floor Plan for Block 5 (Unit B Type A II)
14	Drawing No 14	...	Typical Floor Plan for Block 5 (Unit B Type A II) - 2nd Floor to 10th Floor Plan
15	Drawing No 15	...	Terrace Plan for Block 5 (Unit B Type A II)
16	Drawing No 16	...	Elevation 1 for Block 5 (Unit B Type A II)
17	Drawing No 17	...	Elevation 2 for Block 5 (Unit B Type A II)
18	Drawing No 18	...	Section A-A & B-B for Block 5 (Unit B Type AII)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 3508/मा०/अनु०जो०-A/19 दिनांक : 21-11-2019

पार्ट पूर्णता प्रमाण–पत्र

प्रेषक,

नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

श्री ए. सचदेव (ग्रुप कैप्टन),
सहायक प्रबन्धक (WKS)
एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड,
4बी, शताब्दीनगर, परतापुर,
मेरठ।

विषयः– **आवेदन सं–CC20190304130154023 के क्रम में पार्ट पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया आपके द्वारा उपर्युक्त विषयक ऑनलाईन आवेदन संख्या–CC20190304130154023 हाई–रिस्क श्रेणी में भूखण्ड संख्या–4बी, शताब्दीनगर, मेरठ के क्षेत्रफल 40396.52 व.मी. पर 'ग्रुप हाउसिंग' के पार्ट पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिस पर उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन दिनांक 20.11.2019 के क्रम में **ब्लॉक संख्या–01, 06, 07, 08, कम्यूनिटी हॉल तथा सुविधाजनक दुकानों** का **पार्ट पूर्णता प्रमाण पत्र** निम्नलिखित शर्तो के साथ निर्गत किया जाता है:–

1. एनवॉयरमेन्ट क्लीयरेन्स प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् पार्ट कम्पलीशन ड्राईंग निर्गत की जायेगी।
2. सम्पूर्ण निर्माण पूर्ण हो जाने के उपरान्त एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड को सम्पूर्ण परिसर का एकीकृत कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राधिकरण से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. मूल स्वीकृति एवं शमन तथा आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र के समय अंकित शर्तों/प्रतिबन्धों तथा दिये गये शपथ–पत्रों के कथनों का पालन करना होगा।
4. सम्पूर्ण परिसर का पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किये जाते समय पुनः पूर्व में जारी आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र वाले भाग का तकनीकी/स्थलीय परीक्षण करने का अधिकार मेरठ विकास प्राधिकरण का होगा।
5. फायर तथा अन्य विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में अंकित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन करने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी तथा इसमें शिथिलता बरतने पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।

6. भवन के स्ट्रक्चरल सेफ्टी की पूर्ण जिम्मेदारी वास्तुविद्, सुपरविजन करने वाले इंजीनियर तथा विकासकर्ता की होगी।
7. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन व रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
8. वाटर सप्लाई/सीवर तथा अन्य किसी भी प्रकार के रख–रखाव की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी तथा किसी भी समय आन्तरिक विकास कार्यों को हैण्डओवर करने की पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
9. विकासकर्ता को सम्पूर्ण लेबर सेस नियमानुसार जमा करना होगा तथा श्रम विभाग से देयता के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के उपरान्त ही पार्ट कम्पलीशन ड्राईंग निर्गत की जायेंगी।
10. अपार्टमेन्ट एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
11. निर्माण सामग्री लेकर परिसर में आने वाले वाहनों तथा अन्य निर्माणाधीन टावरों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ कोई दुर्घटना ना हो इसका समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।

नगर नियोजक, 5/4/09
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 340 / प्र0खण्ड जोन A-4 / 2018 दिनांक : 27-10-18

सेवा में, 2107

श्री बी0 रघुनाथ
सहायक मैनेजर (वर्क्स)
द्वारा डायरैक्टर जनरल
ऐयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड
ऐयर फोर्स स्टेशन रेसफोर्स
नई दिल्ली – 110003

विषय– भूखण्ड / खसरा संख्या AFNHB शताब्दी नगर सैक्टर 4 बी मेरठ .पर निर्मित भवन के निर्माण के शमन मानचित्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक स्वीकीय शमन आवेदन पत्र दिनांक 12.09.2018 को प्राप्त शपथ पत्र एवं शमन मानचित्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । आपके आवेदन पर सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 20.09.2018 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आपके द्वारा शमन एवं अन्य धनराशि रूपये 5,25,800/–रसीद संख्या PLN 15034569 दिनांक 24.09.2018.के द्वारा जमा किये जाने पर शमन मानचित्र में प्रस्तावित निर्माण को निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान करते हुए शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है ।

1– निर्मित भवन में प्रयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा

2– रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नियमानुसार सपूर्ति प्रमाण पत्र लेने से पूर्व मौके पर सुनिश्चित करनी होगी। (300.00 वर्ग मीटर अथव इससे अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल होने पर लागू)

3– स्वीकृत शमन मानचित्र में स्वीकृति आच्छादन के अनुसार आवश्यक 65 वृक्षारोपण- सुनिश्चित करना होगा ।

4– शपथ–पत्र दिनांक 06.08.2018.में दिये गये बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।

5– उपरोक्त की शर्तो के अनुपालन के उपरान्त ही संपूर्ति प्रमाण–पत्र हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार्य होगा ।

6– भवन की स्ट्रंक्चरल सेफ्टी एवं प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के उपरान्त भवन की स्ट्रेक्चरल सेफ्टी का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा ।

7– शमन मानचित्र की स्वीकृति के मद में गणनाओं में त्रुटिवश यदि कोई धनराशि शेष रह जाती है तो प्राधिकरण में जमा करानी होगी ।

8– शमन मानचित्र में दर्शाये गये तथ्यों अथवा प्राधिकरण में उपलब्ध कराये गये अभिलेख असत्य अथवा दोषपूर्ण पाये जाते हैं तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं इसका समस्त उत्तरदायित्व आवेदक का होगा ।

9– शमनित भवन की गुणवत्ता मान्य तकनीकी मानकों, स्ट्रक्चरल डिजाईन आदि में कमी अथवा अन्य किसी दोष के कारण यदि भवन में अथवा भवन के परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो समस्त दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

10– विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों की शर्तों एवं सम्बन्धित शासन आदेशों का अनुपालन आपको अपने स्तर से सुनिश्चित करना होगा ।

11– अशमनीय भाग को 30 दिन के अन्दर स्वयं अपने हर्जे/खर्चे पर तोडकर भवनस्वामी स्वयं प्राधिकरण को सूचित करेंगे यथा शमन स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी ।

12– मानचित्र स्वीकृति एवं एन.जी.टी. की समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।

कृपया उपरोक्तानुसार उल्लिखित शर्तो का उल्लघंन किये जाने की दशा में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तदायी होंगे ।

संलग्नक– शमन मानचित्र की एक प्रति उपरोक्तानुसार ।

भवदीय
27.10.18

जोनल अधिकारी जोन ए
मेरठ विकास प्राधिकरण,मेरठ

कार्यालय सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर–प्रदेश शासन, मेरठ जोन, मेरठ

संख्या– 2८2 नि0/म0जो0/लिफ्ट/नि0 दिनांक 05.08.2020

सेवा में,

एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड–मेरठ प्रोजेक्ट,
साइट– सैक्टर–4 बी, शताब्दी नगर, मेरठ।

विषय– 08 न0 लिफ्ट के विद्युत अधिष्ठापन का निरीक्षण/परीक्षण।

प्रसंग– आप द्वारा प्रेषित निरीक्षण शुल्क रू० 12,000.00 का चालान सं0– एस 500003 दिनांक 05.08.2020 तथा कार्यपूर्ण प्रमाण पत्र एवं आवेदन पत्र।

प्रिय महोदय,

आपके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके उपरोक्त परिसर में अधिष्ठापित निम्न विवरण के अनुसार 08 न0 लिफ्टों के विद्युतीय अधिष्ठापन का प्रारम्भिक निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 05.08.2020 को किया गया।

लिफ्ट का विवरण

क्र0 सं0	मेक	क्षमता	मोटर क्षमता	जॉब नं0	इक्यूपमेन्ट नं0	टावर नं0
1	KONE	884 Kg (13 Passangers)	6.6 कि0वा0, 3–फेज, 415 वोल्ट	84967	40255070	[illegible]
2	KONE	884 Kg (13 Passangers)	6.6 कि0वा0, 3–फेज, 415 वोल्ट	84970	40255074	[illegible]
3	KONE	884 Kg (13 Passangers)	6.6 कि0वा0, 3–फेज, 415 वोल्ट	84980	40255067	3
4	KONE	884 Kg (13 Passangers)	6.6 कि0वा0, 3–फेज, 415 वोल्ट	84981	40255068	[illegible]
5	KONE	884 Kg (13 Passangers)	6.6 कि0वा0, 3–फेज, 415 वोल्ट	84979	40255066	4
6	KONE	884 Kg (13 Passangers)	6.6 कि0वा0, 3–फेज, 415 वोल्ट	84976	40255075	4
7	KONE	884 Kg (13 Passangers)	6.6 कि0वा0, 3–फेज, 415 वोल्ट	84983	40255201	6
8	KONE	884 Kg (13 Passangers)	6.6 कि0वा0, 3–फेज, 415 वोल्ट	84965	40255208	5

निरीक्षण के समय उपरोक्त लिफ्टों का विद्युतीय अधिष्ठापन विद्युत नियमावली 2006 सुसंगत नियमों के अनुरूप संतोषजनक अवस्था में पाया गया।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि

1. लिफ्टों के विद्युतीय अधिष्ठापन का वार्षिक अनुरक्षण किसी अधिकृत एजेन्सी से कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. लिफ्ट एक्ट के प्राविधानों के अनुरूप लिफ्टों को मेनटेन रखें तथा निर्धारित समयान्तराल में इस कार्यालय द्वारा लिफ्ट के विद्युतीय अधिष्ठापन का सामयिक निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. सुरक्षा उपायों में इमरजेंसी हूटर, यू0पी0एस0 बैक–अप बैटरी, ओवर लोड सेफ्टी डिवाइस, डोर कन्ट्रोलर, इमरजेंसी ब्रेक आदि हमेशा कार्यशील अवस्था में अनुरक्षित रखें।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
सहायक निदेशक
विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन,
मेरठ जोन, मेरठ